

प्रोजेक्ट – राष्ट्रीय राजमार्ग- 135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर), तक चार लेन के विन्यास के लिए चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं० – FP/UP/ROAD/141411/2021

पर्यावरण क्लीयरेंस की आवश्यकता न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एनएच डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग-135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर), तक चार लेन के विन्यास के लिए चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के निर्माण में पर्यावरण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना एवं संशोधन के तहत 100कि०मी और 40मी० चौड़ाई तक राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)



अरुण कुमार सिंह
अधिशाली अभियंता
एनएच डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी